

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा  
मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने, जनता कॉलोनी, जयपुर

प.9(35) डीएमई/बजट घोषणा 2010-11/जोधपुर/2021-22/2568

दिनांक 16/06/2022

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या .....12..... वित्तीय वर्ष 2022-23

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,  
मेडिकल कालेज,  
जोधपुर।


विषय:- माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2010-11 की घोषणा संख्या 65 महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में नवीन ओपीडी ब्लॉक का निर्माण बाबत बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- वित्त विभाग की आई डी सं. 152200635 दिनांक 06.06.2022

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक 4139 दिनांक 16.12.2021 एवं 439 दिनांक 04.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं आपके प्रासंगिक पत्रों के अधीन माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2010-11 की घोषणा संख्या 65 महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में नवीन ओपीडी ब्लॉक का निर्माण बाबत बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर वित्त (व्यय-1) विभाग की संदर्भित आई डी संख्या 152200635 दिनांक 06.06.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में नवीन ओपीडी ब्लॉक एवं इमजेन्सी ब्लॉक के लिये राशि रु 57.70 लाख के आवश्यक उपकरण बजट शीर्ष 4210-03-789-01-05-18 METP (राज्य निधि) मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से क्रय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (व्यय-1)विभाग की आई डी सं. 152200635 दिनांक 06.06.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त जारी की जाती है।



(गौरव चतुर्वेदी)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

प.9(35) डीएमई/बजट घोषणा 2010-11/जोधपुर/2021-22/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-1) राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) / आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1)विभाग, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मेडिकल कालेज, जोधपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर (शहर), जोधपुर।
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा न. 98ए, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने, जनता कॉलोनी, जयपुर

प.9(35) डीएमई/बजट घोषणा 2010-11/जोधपुर/2021-22/

दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या ..... 12 ..... वित्तीय वर्ष 2022-23

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,  
मेडिकल कालेज,  
जोधपुर।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2010-11 की घोषणा संख्या 65 महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में नवीन ओपीडी ब्लॉक का निर्माण बाबत बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- वित्त विभाग की आई डी सं. 152200635 दिनांक 06.06.2022

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक 4139 दिनांक 16.12.2021 एवं 439 दिनांक 04.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं आपके प्रासंगिक पत्रों के अधीन माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2010-11 की घोषणा संख्या 65 महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में नवीन ओपीडी ब्लॉक का निर्माण बाबत बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर वित्त (व्यय-1) विभाग की संदर्भित आई डी संख्या 152200635 दिनांक 06.06.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में नवीन ओपीडी ब्लॉक एवं इमजेन्सी ब्लॉक के लिये राशि रु 57.70 लाख के आवश्यक उपकरण बजट शीर्ष 4210-03-789-01-05-18 METP (राज्य निधि) मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से क्रय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (व्यय-1)विभाग की आई डी सं. 152200635 दिनांक 06.06.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त जारी की जाती है।

(गौरव चतुर्वेदी)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

प.9(35) डीएमई/बजट घोषणा 2010-11/जोधपुर/2021-22/ 2568

दिनांक 16/6/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-1) राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) / आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मेडिकल कालेज, जोधपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर (शहर), जोधपुर।
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा न. 98ए, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव